

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के आर्थिक विकास का अध्ययन

डॉ० कोमल प्रसाद

Ph.D. (Economics), Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

शोध सारांश

मानव विकास की मूलभूत आवश्यकताएं सदैव से रही हैं। कपड़ा और मकान जिसमें आवास जीवन की सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास हेतु महत्वपूर्ण है। भारत में निर्धनता के दुष्परिणामों में एक गंभीर समस्या आवास की कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया। छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के आर्थिक विकास का अध्ययन प्रासंगिक है। प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य मुंगेली जिले के लाभान्वित हितग्राहियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के विकास में प्रधानमंत्री आवास योजना की भूमिका का अध्ययन कर योजना की कमियों और विकास को रेखांकित कर उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना है। अतः शोध का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के आर्थिक विकास का अध्ययन करना है। प्रस्तुत अध्ययन में मुंगेली जिले के विशेष संदर्भ पर आधारित है। इस शोध पत्र के उद्देश्य के प्राप्ति हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है।

शब्द कुंजी— प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबी उन्मूलन, रोजगार, हितग्राहियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति

प्रस्तावना

प्रकृति के प्रांगण में आवास मनुष्य की अहम आवश्यकताओं में से एक है।¹ शताब्दियों पहले गौतम बुद्ध ने कहा था कि “आवास के बिना मानव का भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण विकसित नहीं हो सकता।” इस प्रकार आवास मानव विकास और स्थायित्व का अभिन्न अंग है।² मानव के लिए आवास एक बुनियादी आवश्यकता है। एक सामान्य नागरिक जिसके पास अपना घर है अर्थात् उसके पास सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक दर्जा प्राप्त होता है। आवासहीन आदमी के लिए एक ‘मकान’ उसके अस्तित्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है तथा उसे एक पहचान दिलाता है जिससे वह अपने नजदीकी सामाजिक परिवेश के साथ जुड़ जाता है।

रोटी और कपड़ा के बाद ‘आवास’ हमारी बुनियादी जरूरत है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में ‘आवास’ सभी वर्गों के लिए अनिवार्य है किन्तु उन वंचित परिवारों के लिए एक अदद छत जुटाना दुरह कार्य है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हुए केवल रोजी-रोटी के संकट से ही मुक्त नहीं हो पाते। ऐसे वंचित लोगों के लिए ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ का बहुआयामी महत्व है। सामाजिक न्याय के आलोक में आवासहीन परिवार के ऐसे निर्धन सदस्य जिनका अपना घर नहीं है उनको रहने के लिए ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के माध्यम से पक्का एवं स्वच्छ आवास निर्माण हेतु सहायता सुनिश्चित करना है।

समाज में रहने वाले आवासहीनों तथा गरीब लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के संदर्भ में उनके विकास क्रम को आत्मपोषित बनाना, भूखमरी एवं निर्धनता से छुटकारा दिलाना, रहने के लिए एक पक्के एवं स्वच्छ आवास उपलब्ध कराना जिससे आर्थिक विकास मजबूत होगा। परिवार के सिर पर एक छत का होना

¹. सुचिता श्रीवास्तव-आवास भारती 2017. पृ. क्र. 9

². महावीर प्रसाद अग्रवाल-कादम्बिनी, हिन्दुस्तान टाइम्स, कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, 2013, पृ. क्र. 12

जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। आवास न सिर्फ रहने के लिए बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से मनुष्य के सम्मान के साथ भी जुड़ा है।

साहित्य का पुनरावलोकन

प्रधानमंत्री आवास योजना के विभिन्न पहलुओं का विभिन्न शोध प्रकाशनों में प्रकाशित देश में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई योजना निम्नानुसार है –

1. **नूह (2019)** शोधकर्ता द्वारा अध्ययन में पाया गया कि वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक आपदायें आवास की समस्या मांग में वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण कारक रहा है परिणामतः आवास स्टाक की मांग में हुई तेजी ने आवास बाजार में आवास निर्माण सामग्री, श्रम एवं नीतिगत परिवर्तनों को लाने हेतु प्रमुखतः से जिम्मेदार रहे हैं।
2. **जान (2019)** शोधकर्ता द्वारा अपने अध्ययन में समझाया की आवास पर अर्थव्यवस्था जो आवास की जरूरतों को पूरा करना है आधुनिक दशक में आवास के उद्देश्य के लिए विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में बढ़ने आवास की वृद्धि और आवश्यकता का नया भंडार लाया है शोधकर्ता ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष पर प्रकाश डाला गया है की हाउसिंग हॉउस के लिए है के साथ अतिव्यापी है जबकि आवास के वृद्धि को उद्देश्य के लिए वास्तविक आवश्यकता की तुलना में तेजी से बढ़ने की जरूरत है
3. **निल्सन (2019)** शोधकर्ता ने अपने अध्ययन में पाया गया की व्यक्तिगत और पारिवारिक आवास की कहानिया श्रम और बाजार जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह और प्रवास पर अत्यधिक प्रभाव डालतीं है अध्ययन में यह भी पाया गया है की अधिकांश बड़े परिवार सम्पत्तियों को अचल सम्पत्ति और निर्माण को बेचने से बचा रहे है जबकि परिवार की अपनी कहानी भावना और शौक एक ही हाथ में बड़े स्तर की सम्पत्तियों को रखने का मुख्य कारण है।
4. **मोहंती (2013)⁵** द्वारा किए गए शोध का मुख्य उद्देश्य औपचारिक वित्तीय क्षेत्र के माध्यम से आवास वित्त संवितरण भारत में आवास के मांग – आपूर्ति अंतराल

बढ़ते शहरी के दुष्परिणामों में से एक गंभीर समस्या है जो बेहतर विकास संभावनाओं के कारण एक बढ़ी चुनौती है, उक्त अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा यह सुझाव प्रेषित किया गया है कि वित्तीय स्थिरता हेतु आवश्यक है कि सुरक्षा उपायों के साथ समुदाय के आवास विहीन वर्ग हेतु सुगम एवं सरल आवास वित्त सुविधा का विस्तार किया जाए।

5. कौर (2012) द्वारा किए गए शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य "आवास की स्थिति को शहरी गरीबी के समाजिक, आर्थिक संकेतन के रूप में अध्ययन" करने का रहा, शोधकर्ता के द्वारा आवास की स्थिति एवं शहरी गरीबों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंध का अध्ययन करने पर पाया गया कि आवास की स्थिति स्वास्थ्य सुरक्षा एवं समाजिक समर्थन के बीच महत्वपूर्ण सकारात्मक संबंध है उक्त अध्ययन में निष्कर्ष: यह पाया गया कि आवास की स्थिति अनुकूल एवं बेहतर होने पर स्वास्थ्य सुरक्षा एवं समाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

शोध प्राविधि :

प्रस्तुत अध्ययन प्रतिदर्श अनुसंधान है। न्यादर्शों के चयन हेतु दैव निदर्शन तकनीक का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र छत्तीसगढ़ होगा किन्तु विस्तृत एवं गहन अध्ययन हेतु मुंगेली जिले में लाभान्वित परिवारों के चयन में निदर्शन प्राविधि को प्रयुक्त किया गया है। अध्ययन के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण हेतु लाभान्वित परिवारों के चयन हेतु सम्बन्धित विभाग की सहायता से लाभान्वित परिवारों की सूची प्राप्त की गई जो लाभान्वित परिवारों के साथ ही प्राथमिक सर्वेक्षण हेतु ऐसे लाभान्वित परिवारों को सम्मिलित किया गया जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना की मद से आवास निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है जो चयन का मुख्य आधार है।

शोध का उद्देश्य

शोध का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के आर्थिक विकास का अध्ययन करना है।

अध्ययन की परिकल्पनाएं

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाओं की जांच की जायेगी—
H₀.1— प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित परिवारों के आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

H₀.2— प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित परिवारों के आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक विकास में सार्थक संबंध नहीं है।

प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण का उद्देश्य

1. सभी बेघर परिवार और कच्चे तथा झुग्गी-झोपड़ी टूटे-फूटे मकानों में रहने वाले आवासहीन परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान रसोई पेयजल, बिजली कनेक्शन, शौचालय युक्त आवास सुविधा उपलब्ध कराना है।
2. इसका वर्तमान उद्देश्य वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक 3 वर्षों में कच्चे टूटे-फूटे मकानों में रहने वाले 01 करोड़ परिवारों को लाभ प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण की मुख्य विशेषताएँ

1. इस योजना के अंतर्गत साफ-सुथरे रसोईघर के साथ मकान के आकार को 20 वर्गमीटर से बढ़ाकर 25 वर्गमीटर कर दिया गया है।
2. प्रति आवास लागत राशि सहायता को मैदानी क्षेत्रों में रु. 7000 रु. बढ़ाकर रु. 1.20 लाख तथा पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों (आई.ए.पी.) जिले में रु. 75000 से बढ़ाकर रु.1.30 लाख कर दिया गया है।

3. इस योजना के अंतर्गत आवास निर्माण कार्य के लिए मनरेगा से 90-95 मानव दिवस मजदूरी दिया जाता है।
4. शौचालय के निर्माण के लिए रु. 12000 राशि दिया जाता है।
5. इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता राशि को आधार नंबर लिंक खातों में भुगतान किया जाता है।
6. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत रूरल मेसन प्रशिक्षण के माध्यम से निर्माणाधीन आवास की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है साथ ही प्रशिक्षण से हितग्राहियों का कौशल उन्नयन कर स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किये जाते हैं।
7. इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु अगर चाहे तो रु. 70000 तक बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
8. योजना के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु आवास ऐप की अनिवार्यता
9. एस.ई.सी.सी. 2011 डाटा से ग्राम सभा द्वारा लाभार्थी का चयन
10. अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन पश्चात् ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विशेष परियोजनाएं मंजूर की जाएंगी।

पी.एम.ए.वाई.-जी के संबंध में लाभार्थियों को आवश्यक जानकारी (Orientation) उपलब्ध कराना।³

योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को प्राप्त वित्तीय लाभ का किस्तवार विवरण

योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 में हितग्राहियों को 3 किस्तों में राशि प्रदान की जाती थी अपितु निर्धारित समयावधि में आवास पूर्णता में समस्या के कारण वित्तीय वर्ष 2018-19 से योजनांतर्गत हितग्राहियों को 4 किस्तों में जारी की जाती है जिसका विवरण निम्नवत है-

³. ग्रामीण विकास मंत्रालय-भारत सरकार, 2021 पृ क्र. 7-9

तालिका: हितग्राहियों को प्राप्त वित्तीय लाभ का किस्तवार विवरण (रूपये में)

क्र.	विवरण	पहाड़ी जिला	सामान्य जिला
1.	प्रस्तावित एवं वर्तमान में निवासरत स्थल	25000	25000
2.	प्लिंथ स्तर	45000	40000
3.	छत ढलाई का स्तर	45000	40000
4.	पूर्ण स्तर	15000	15000
	कुल योग	130000	120000

स्रोत— pmay.gov.in

हितग्राहियों के जीवनयापन के लिए कार्य की स्थिति का विवरण

तालिका: हितग्राहियों के जीवनयापन के लिए कार्य की स्थिति का विवरण एवं प्रतिशत


क्र.	कार्य का प्रकार	लोरमी	मुंगेली	पथरिया	कुल	प्रतिशत
1.	मजदूरी	67	59	60	186	62
2.	खेती	24	33	29	86	28.67
3.	प्राइवेट नौकरी	4	6	7	17	5.67
4.	सरकारी नौकरी	2	2	1	5	1.67
5.	अन्य	3	0	3	6	2
	योग –	100	100	100	300	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण नवंबर-दिसंबर, 2022

उपर्युक्त तालिका एवं रेखाचित्र में हितग्राहियों के जीवनयापन के लिए कार्य की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान विकासखण्ड लोरमी में 67, विकासखण्ड मुंगेली में 59 तथा विकासखण्ड पथरिया में 60 हितग्राही मजदूरी करते पाए गए तथा विकासखण्ड लोरमी में 24, विकासखण्ड मुंगेली में 33 तथा

विकासखण्ड पथरिया में 29 हितग्राही खेती करते पाए गए जबकि विकासखण्ड लोरमी में 4, विकासखण्ड मुंगेली में 6 तथा विकासखण्ड पथरिया में 7 हितग्राही प्राइवेट नौकरी तथा विकासखण्ड लोरमी में 2, विकासखण्ड मुंगेली में 2 तथा विकासखण्ड पथरिया में 1 हितग्राही सरकारी नौकरी करते पाए गए। विकासखण्ड लोरमी में 3 तथा विकासखण्ड पथरिया में 3 हितग्राही ऐसे पाए गए जो अन्य साधनों से रोजगार प्राप्त कर अपना और अपने परिवार का भरणपोषण करते हैं।

इस प्रकार मुंगेली जिले के कुल 300 हितग्राहियों में से 186 (62%) हितग्राही मजदूरी करते पाए गए तथा 86 (28.67%) हितग्राही खेती, 17 (5.67%) हितग्राही प्राइवेट नौकरी तथा 5 (1.67%) हितग्राही सरकारी नौकरी करते पाए गए जबकि 6 (2%) हितग्राही ऐसे पाए गए जो अन्य साधनों से रोजगार प्राप्त करते हैं।



प्रधानमंत्री आवास योजना में संलग्नता से पूर्व हितग्राहियों के वार्षिक आय का विवरण

तालिका: प्रधानमंत्री आवास योजना में संलग्नता से पूर्व हितग्राहियों के वार्षिक आय का विवरण एवं प्रतिशत


क्र.	आवास में संलग्नता से पूर्व वार्षिक आय	लोरमी	मुंगेली	पथरिया	योग	प्रतिशत
1.	0-5 हजार	9	6	5	20	6.67
2.	5-10 हजार	78	73	69	220	73.33
3.	10-20 हजार	8	13	19	40	13.33
4.	20 हजार से अधिक	5	8	7	20	6.67
	योग :-	100	100	100	300	100.00

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण नवंबर-दिसंबर, 2022

उपर्युक्त तालिका एवं रेखाचित्र में हितग्राहियों के प्रधानमंत्री आवास योजना में संलग्नता से पूर्व वार्षिक आय को प्रदर्शित किया गया है। प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान अध्ययन करने पर मुंगेली जिले के विकासखण्ड लोरमी में 5 हितग्राही, विकासखण्ड मुंगेली में 8 तथा विकासखण्ड पथरिया में 7 हितग्राही ऐसे पाये गये जिनकी वार्षिक आय 20 हजार रुपये से अधिक है वहीं 10-20 हजार रुपये आयवर्ग के हितग्राही विकासखण्ड लोरमी में 8, विकासखण्ड मुंगेली में 13 तथा विकासखण्ड पथरिया में 19 पाये गये। इसी प्रकार 5-10 हजार रुपये आयवर्ग के हितग्राही विकासखण्ड लोरमी में 78, विकासखण्ड मुंगेली में 73 तथा विकासखण्ड पथरिया में 69 पाये गये। 0-5 हजार आयवर्ग के विकासखण्ड लोरमी में 9, विकासखण्ड मुंगेली में 6 तथा विकासखण्ड पथरिया में 5 हितग्राही पाये गये।

इस प्रकार मुंगेली जिले में कुल 300 में से 20 (6.67%) हितग्राही ऐसे पाये गए जिनकी वार्षिक आय 20 हजार रुपये से अधिक है जबकि 300 में से 40 (13.33%) हितग्राही ऐसे पाये गए जिनकी वार्षिक आय 10-20 हजार रुपये है। 5-10 हजार

वार्षिक आय वाले 300 में से कुल 220 (73.33%) तथा 0-5 हजार वार्षिक आमदनी वाले केवल 20 (6.67%) हितग्राही पाये गये।



3.7 प्रधानमंत्री आवास योजना में संलग्नता के पश्चात् हितग्राहियों के वार्षिक आय का विवरण

तालिका 3.7 प्रधानमंत्री आवास योजना में संलग्नता के पश्चात् हितग्राहियों के वार्षिक आय का विवरण एवं प्रतिशत


क्र.	आवास में संलग्नता के पश्चात् वार्षिक आय	लोरमी	मुंगेली	पथरिया	कुल	प्रतिशत
1.	0-5 हजार	0	0	0	0	0.00
2.	05-10 हजार	0	0	0	0	0.00
3.	10-20 हजार	3	6	5	14	4.67
4.	20 हजार से अधिक	97	94	95	286	95.33
	योग -	100	100	100	300	100.00

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण नवंबर-दिसंबर, 2022

उपर्युक्त तालिका एवं रेखाचित्र 3.7 में प्रधानमंत्री आवास योजना में संलग्नता के पश्चात् हितग्राहियों के वार्षिक आय का विवरण प्रदर्शित किया गया है। प्राथमिक

सर्वेक्षण के दौरान विकासखण्ड लोरमी में 97 हितग्राही, विकासखण्ड मुंगेली में 94 तथा विकासखण्ड पथरिया में 95 हितग्राही ऐसे पाये गये जिनकी वार्षिक आय 20 हजार रुपये से अधिक है जबकि 10-20 हजार रुपये आयवर्ग के हितग्राही विकासखण्ड लोरमी में 3, विकासखण्ड मुंगेली में 6 तथा विकासखण्ड पथरिया में 5 पाये गये। ऐसे हितग्राही जिनकी वार्षिक आमदनी 10 हजार रुपये से कम है, की संख्या जिले में शून्य पायी गई।

इस प्रकार मुंगेली जिले में कुल 300 में से 286 (95.33%) हितग्राही ऐसे पाये गए जिनकी वार्षिक आय 20 हजार रुपये से अधिक है जबकि 300 में से केवल 14 (4.67%) हितग्राही ऐसे पाये गए जिनकी वार्षिक आय 10-20 हजार रुपये है।



**लाभार्थियों को योजना में संलग्नता से पूर्व वार्षिक आय— योजना में संलग्नता के बाद
में वार्षिक आय के लिए पेयर टी—परीक्षण**

		पेयर प्रतिदर्श टी—परीक्षण							
		N	माध्य	मानक विचलन	माध्य की मानक त्रुटि	टी—मान	स्वतंत्रता कोटि	द्विपक्षीय सार्थकता (P)	P>0.01 H ₀ अस्वीकृत
Pai r 1	योजना में संलग्नता से पूर्व वार्षिक आय—योजना में संलग्नता के बाद वार्षिक आय	300	-2.953	0.928	0.054	-55.138	299	0.000	

उपर्युक्त तालिका यह प्रदर्शित करता है कि कुल 300 अवलोकित लाभार्थियों की योजना में संलग्नता से पूर्व में वार्षिक आय—योजना में संलग्नता के बाद में वार्षिक आय के लिए माध्य -2.953, मानक विचलन 0.928 तथा स्वतंत्रता कोटि (df) 299 है, जिसका टी—मान -55.138 है और 95% विश्वसनीयता स्तर पर द्विपक्षीय सार्थकता (P-Value) का मान 0.000 है जो कि महत्वपूर्ण मान 0.01 से कम है इसलिए 1 प्रतिशत महत्व के स्तर पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है।

चुनौतियाँ –

- सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना, 2011 में पाए गए गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार को ही सरकार द्वारा आवास आबंटित करना।
- प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने में प्रखण्ड कार्यालय, ग्राम पंचायत एवं लाभान्वितों के मध्य बिचौलियों का सक्रिय होना।
- आवास प्राप्ति हेतु हितग्राहियों द्वारा पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार

- आवास निर्माण हेतु प्राप्त राशि को हितग्राहियों द्वारा अन्य कार्यों में व्यय करना।
- वर्तमान समय में सरकार द्वारा आवास निर्माण हेतु हितग्राहियों को दी जाने वाली राशि की अपर्याप्तता।

सुझाव :

- सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना, 2011 में पाए गए गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के अतिरिक्त आवासहीन परिवारों को आवास योजना का लाभ देना चाहिए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना संचालन करने वाले पदाधिकारियों एवं आवासहीन ग्रामीण लोगों के बीच संपर्क तथा सूचना के आदान-प्रदान हेतु एक सीधा माध्यम होना चाहिए ताकि आवास संबंधी समस्याओं को त्वरित निराकरण किया जा सके तथा हितग्राहियों को बिचौलियों से मुक्त किया जा सके।
- सरकार को इस दिशा में ध्यान केन्द्रित करना चाहिए कि हितग्राहियों को सही एवं निश्चित समय पर राशि का भुगतान किया जाना चाहिए जिससे हितग्राहियों को आवास निर्माण के दौरान समस्या न हो जिससे हितग्राहियों द्वारा सुचारु रूप से आवास निर्माण किया जा सके।
- सरकार को आवास निर्माण संबंधी एजेंसी स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए विशेष नियम बनाए जाने एवं योजना में पारदर्शिता की आवश्यकता है।
- सरकार द्वारा हितग्राहियों को योजना के संबंध में तथा बैंक ऋण से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि अच्छे आवास निर्माण हेतु उन्हें आर्थिक लाभ मिल सके और उन्हें ऋण हेतु अन्य माध्यमों की आवश्यकता न पड़े।

निष्कर्ष

कुल 300 में से 20 (6.67%) हितग्राही ऐसे पाये गए जिनकी वार्षिक आय 20 हजार रुपये से अधिक है जबकि 300 में से 40 (13.33%) हितग्राही ऐसे पाये गए जिनकी वार्षिक आय 10–20 हजार रुपये है। 5–10 हजार वार्षिक आय वाले 300 में से कुल 220 (73.33%) तथा 0–5 हजार वार्षिक आमदनी वाले केवल 20 (6.67%) हितग्राही पाये गये। कुल 300 में से 286 (95.33%) हितग्राही ऐसे पाये गए जिनकी वार्षिक आय 20 हजार रुपये से अधिक है जबकि 300 में से केवल 14 (4.67%) हितग्राही ऐसे पाये गए जिनकी वार्षिक आय 10–20 हजार रुपये पाया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- छत्तीसगढ़ का सांख्यिकीय संक्षेप, 2009 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय रायपुर
- सिंह, सुरेन्द्र बहादुर अगस्त 2011 कुरुक्षेत्र पृष्ठ क्र. 23–28
- कोत्रेश मल्ला नागौड़ा (2022) “कर्नाटक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का मूल्यांकन” वॉल्यूम–10, 8 अगस्त पृष्ठ क्र 473
- M. Swathi, Dr. D. Vezhaventhan (2018), A Study on the Housing in Rural Areas with Special Reference to Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-G), Vol-120, Issue-5, Pp. 87-99
- मोहन राव कुचिपुड़ी (2015) आंध्र प्रदेश में आवास परिदृश्य, दक्षिणी अर्थशास्त्री, 1 अगस्त।
- कल्पना गोपालन और मदालसा वेंकटरमन (2015) खरीदने की सामर्थ्य आवास भारत में नीति और व्यवहार”, आई.आई.एम.बी. प्रबंधन समीक्षा, जून।
- Dr. S. Ramesh, Mathew. M. Dr. J. Balamrugaan, R.M. Ravi (2021) Role of Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) for Sustainable Inclusive Urban Housing Development. Vol-3, Issue-3 March 2021, Pp. 1628

**SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED
RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES**

An International Peer Reviewed, Refereed Journal

Vol. 2, Issue 1, September-October 2024 **Impact Factor : 6.8** ISSN(O) : 2584-2692

Available online : <https://sijarah.com/>

- The Economist (2020), Housing is at the root of many of the rich world's Problems, Special report, <https://www.economist.com/>
- सुचिता श्रीवास्तव—आवास भारती 2017. पृ. क्र. 9
- महावीर प्रसाद अग्रवाल—कादम्बिनी, हिन्दुस्तान टाईम्स, कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, 2013, पृ. क्र. 12
- ग्रामीण विकास मंत्रालय—भारत सरकार, 2021 पृ क्र. 7—9